

## कार्यालय जिलाधिकारी, गोरखपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 1604 / खनिज / नीलामी / सा0 बालू-गो0

दिनांक 02/12/2024

### ई-निविदा आमंत्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप जिलाधिकारी, गोला व प्रमारी अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, गोरखपुर की संयुक्त जांच आख्या दिनांक-31.07.2024 द्वारा तहसील गोला स्थित ग्राम-मुहालजलकर का स्थलीय निरीक्षण के दौरान आराजी सं0-2768 एवं 2769 में 22846.00 घनमीटर साधारण बालू का वैध/अवैध भण्डारण किया गया है। जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है। इस प्रकार कुल 22,846.00 घनमीटर सा0 बालू को ई-निविदा द्वारा निस्तारण हेतु एतद्वारा घोषित करते हुये दिनांक 10.12.2024 से दिनांक 15.12.2024 तक सात कार्य दिवसों के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर ई-निविदा आमंत्रित किया जाता है।

### ई-निविदा (E-tendering) हेतु सा0 बालू भण्डरों का विवरण :-

क्र0सं0	भण्डारण स्थल का विवरण	भण्डारित सा0 बालू की मात्रा (घनमीटर में)	न्यूनतम रायल्टी की दर (रु0 प्रति घनमीटर)	न्यूनतम सरकारी बोली की घनराशि (रु0 में)	प्री-बिड अर्नेस्ट मनी (कॉलम-5 में अंकित घनराशि का 50 प्रतिशत) की घनराशि (रु0 में)	भण्डारित खनिज हटाये जाने (विक्रय एवं परिवहन) हेतु निर्धारित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम-मुहालजलकर, तहसील गोला, जनपद गोरखपुर	22,846	65.00	14,84,990	7,42,495	03 माह (परिवहन प्रपत्र निर्गत होने के दिनांक से)

### शर्तें

- ई-निविदा सा0 बालू के प्रति घनमीटर क लिये दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में जनपद गोरखपुर के साधारण बालू के लिये विनिर्दिष्ट दर रु0 65 प्रति घनमीटर से कम नहीं होगी। इससे निम्न ई-निविदा दिये जाने पर ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की घनराशि जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम ई-निविदा की दर (रूपये प्रति घनमीटर) को उस सा0 बालू भण्डार में आंकलित सा0 बालू की कुल मात्रा (घनमीटर) से गुणा कर सम्बन्धित सा0 बालू भण्डार के लिये देय ई-निविदा हेतु प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की घनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- इच्छुक निविदाकार ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा व गुणवत्ता एवं पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- इच्छुक निविदाकार ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदा शुल्क रु0 2500.00 / - (दो हजार पाच सौ रु0) खनन विभाग के लेखा शीर्षक "0853-00-102-01-00" में चालान के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- निविदादाता द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों की पी0डी0एफ0 फाइल ई-निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

क- सा10 बालू भण्डारण की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 2021 की अनुसूची 01 में सा10 बालू के लिये विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 65 प्रति घनमीटर से गुणा कर जो घनराशि आयेगी, उसके 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी गोरखपुर के पक्ष में देय हों) की मूलप्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व दिनांक 19.11.2024 को सायं 05.00 बजे तक जिला खनन कार्यालय गोरखपुर में प्रस्तुत करना होगा। सा10 बालू भण्डार की ई-निविदा हेतु प्री-बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि व समय तक जमा नहीं होगा, उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

ख-पैन कार्ड एवं आधार कार्ड।

ग-निविदाकार का पता प्रमाण पत्र।

(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा-बोटर आई0डी0/पासपोर्ट/झड़विंग लाइसेन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उसके पंजीकरण का विवरण)

घ-खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथपत्र।

ङ-चरित्र प्रमाण पत्र (जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से सम्बन्धित पुलिस सत्यापन के आधार पर जारी)।

5. ई-निविदा आमंत्रण की सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात् दिनांक 18.11.2024 तक ई-टेंडर पोर्टल <http://etenders.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी। बिन्दु संख्या-04 में उल्लिखित/वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या 04 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

6. दिनांक 19.11.2024 तक प्राप्त ई-निविदाओं को कलेक्ट्रेट गोरखपुर परिसर स्थित एन0आई0सी0 के कार्यालय में दिनांक 20.11.2024 को अपराह्न 12.00 बजे खोला जायेगा।

7. ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स को किसी भी सर्टिफाइंग एजेंसी से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) प्राप्त करना होगा।

8. इच्छुक ई-निविदाकार को ई-टेंडर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ई-टेंडर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने अथवा ई-निविदा अपलोड करने हेतु किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 गोरखपुर से उनके मोबाइल नम्बर 18.11.2024 पर एवं ई-जिला प्रबन्धक से उनके मोबाइल नम्बर-9451065121 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ई-निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के उपरान्त अपनी ई-निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी :-

- (1) सर्वप्रथम ई-निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
- (2) तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।
- (3) ई-निविदाकार द्वारा सर्व एक्टिव टेंडर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
- (4) निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारीयों को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

क- सा0 बालू भण्डारण की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 2021 की अनुसूची 01 में सा0 बालू के लिये विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 65 प्रति घनमीटर से गुणा कर जो घनराशि आयेगी, उसके 50 प्रतिशत के समतुल्य घनराशि के बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी गोरखपुर के पक्ष में देय हो) की मूलप्रति ई-निविदा खोलें जाने के पूर्व दिनांक 19-11-2024 को सायं 05:00 बजे तक जिला खनन कार्यालय गोरखपुर में प्रस्तुत करना होगा। सा0 बालू भण्डार की ई-निविदा हेतु प्री-बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) की घनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि व समय तक जमा नहीं होगा, उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

ख-पैन कार्ड एवं आधार कार्ड।

ग-निविदाकार का पता प्रमाण पत्र।

(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा-वोटर आई0डी0/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उसके पंजीकरण का विवरण)

घ-खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथपत्र।

ङ-चरित्र प्रमाण पत्र (जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से सम्बन्धित पुलिस सत्यापन के आधार पर जारी)।

5. ई-निविदा आमंत्रण की सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात् दिनांक 18-11-2024 तक ई-टेंडर पोर्टल <http://etenders.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी। बिन्दु संख्या-04 में उल्लिखित/वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या 04 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

6. दिनांक 19-11-2024 तक प्राप्त ई-निविदाओं को कलेक्ट्रेट गोरखपुर परिसर स्थित एन0आई0सी0 के कार्यालय में दिनांक 20-11-2024 को अपरान्ह 12:00 बजे खोला जायेगा।

7. ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स को किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) प्राप्त करना होगा।

8. इच्छुक ई-निविदाकार को ई-टेंडर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ई-टेंडर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा ई-निविदा अपलोड करने हेतु किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 गोरखपुर से उनके मोबाइल नम्बर 9451065121 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ई-निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के उपरान्त अपनी ई-निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्मांकित कार्यवाही की जानी होगी :-

- (1) सर्वप्रथम ई-निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
- (2) तत्पश्चात् निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।
- (3) ई-निविदाकार द्वारा सर्व एक्टिव टेंडर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
- (4) निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारियों को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

15. मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
16. स्वीकृत सा० बालू भण्डार से सा० बालू का विक्रय व परिवहन जिला खान अधिकारी गोरखपुर द्वारा जारी प्रपत्र सी/ई-प्रपत्र सी के माध्यम से किया जायेगा।
17. भण्डारित खनिज को हटायें जाने हेतु निर्धारित समयवाधि में कोई विस्तार अनुमत्य नहीं होगा।
18. सफल ई-निविदाकार द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आकर विभाग का टी०सी०एस० एवं जी०एस०टी० आदि नियमानुसार देय होगा।
19. सफल ई-निविदाकार को सा० बालू परिवहन से पूर्व निकासी मार्ग पर सी०सी०टी०वी० कैमरा की व्यवस्था कर उसके अधीन भण्डारित सा० बालू का परिवहन किया जाना होगा एवं उसकी रिकार्डिंग पेन ड्राइव में सुरक्षित कर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
20. जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा कोई अन्य नियम एवं शर्तें लगायी जाती है तो उसे इच्छुक निविदाकार एवं सफल निविदाकार को पालन करना होगा।

(कृष्णा करुणेश)  
जिलाधिकारी  
गोरखपुर।

संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० शासल लखनऊ।
10. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
11. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर।
12. प्रबन्धक निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०, अशोक मार्ग हजरतगंज लखनऊ।
13. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० गोरखपुर।
14. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर को व्यापाक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
15. उपजिलाधिकारी सदर, गोला, खजनी, बासगाँव, कैम्पियरगंज, चोरीचौरा, सहजनवां, जनपद गोरखपुर।
16. नाजिर, कलेक्ट्रेट-गोरखपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

  
जिलाधिकारी  
गोरखपुर।